न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 76 आर 15/06–07

मोजामिल मन्सुर वगैरह — अपीलकर्ता

बनाम

डोमन मुण्डा वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

35/
26.03.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 846/05–06 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 5.07.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
बरियातु	172	181	10 कट्ठा

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन मोहम्मद नेयाज खान, फियाज खान एवं मोहम्मद सफी खान ने 15.12.1945 को प्राप्त किया था जिन्होंने इसे निबंधित बिक्री पट्टा से राजकुमार अग्रवाल को दिनांक 25.1.1982 को बिक्री कर दिया। क्रेता ने नामांतरण वाद संख्या 124 आर 27/82–83 द्वारा अपने नाम से नामांतरण कराया एवं बाद में निबंधित बिक्री पट्टा द्वारा 4 कट्ठा 2 छटॉक 38 वर्गफीट जमीन वर्तमान अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। मो0 नेयाज खान ने स्वयं 4 कट्ठा 8 छटॉक जमीन मोजामिल मंसुर को 3.7.1983 को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार मोजामिल मंसुर द्वारा कुल 7 कट्ठा 8 छटॉक एवं फारुक आजम द्वारा 9 कट्ठा जमीन विभिन्न दस्तावेजों से खरीदा गया है। अपीलकर्ता के नाम से वाद संख्या 272 आर 27/90–91 द्वारा नामांतरण भी स्वीकृत होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता को नोटिस तामिला नहीं कराया गया जिसके कारण वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये। उनका यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश एकपक्षीय है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही पुनः दुहराया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन पर कोई संरचना नहीं है एवं प्रतिवादी को दिनांक 30.12.2006 को दखल देहानी प्राप्त हो चुका है।

वाद से संबंधित कागजातों और बहस सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि 1945 में मो0 नेयाज खान, फैयाज खान वगैरह के द्वारा क्रय का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इन लोगों के द्वारा 25.01.1982 को निबंधित वसीका के द्वारा राजकुमार अग्रवाल को बेच दिया गया। जब प्रथम हस्तांतरण ही संदेहास्पद हो तो उस आधार पर किया गया दूसरा हस्तांतरण भी गलत है। इन हस्तांतरणों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की संगत धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

अपीलकर्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख देखने से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञापांक 356 दिनांक 23.2.2006 द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं को नोटिस किया गया था और उसे 9.3.2006 को प्राप्त किया गया लेकिन न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि 17.3.2006 पर वे उपस्थित नहीं हुए।

इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का तथ्यात्मक एवं वैधिक कमी नहीं है। 30.12.2006 को दखल देहानी भी हो चुका है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश से सबको अवगत करा दें।

दिनांकः— 26.03.2008

लेखापित वो संशोधित

ह0/—

अपर समाहर्ता
रॉची।